रु 22454

PV

राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2024/37

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
177	34/24	29/1/24	प्रमाद निर्णय 17/9/24 फैसला	13/2/24 14/8/24 2/9/24 17/9/24

अनवान

श्री तहसीलदार साहब श्री गंगाबाई D/o केशा जाति भील

निवासी बिजौलिया निवासी खड़ीपुर, तह. बिजौलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी/ रेस्पोडेंट

डिक्रीदार मदयून

श्री .... श्री ....

FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

राजस्थान सरकार बनाम गंगाबाई

किस्म मुकदमा 177 नम्बर 34 सन 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/1/2024	वादपत्र पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। वकील वादी उपस्थित। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र पत्र भेज की जावें। पत्रावली दिनांक 13/2/2024 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
13/2/24	पत्रावली पेश हुई। पेशकार सरकार उपस्थित। पत्रावली वास्ते तलबी अदम दिनांक 5/3/24 को पेश हो।	
5/3/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 16/4/24 को वास्ते तलबी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
16/4/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 15/5/24 को वास्ते तलबी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
15/5/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 5/6/24 को वास्ते उ. भा. पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
5/6/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 26/6/24 को वास्ते उ. भा. पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	

दिनांक	कार्यवाही
26/6/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रावली दिनांक 10/7/24 को वास्ते सु. अ. पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
10/7/24	पत्रावली पेश हुई। विपक्षी (7) को र.डी. S/g से तामील भेजी गई। विपक्षी (1,2,3,4,5,6,8,9,10) के विरुद्ध एक-पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली वास्ते गौर तलबी आगामी दिनांक 14/8/24 को पेश हो।
14/8/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 2/9/24 का वास्ते गौर तलबी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
2/9/24	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते निर्णय आगामी दिनांक 17/09/24 को पेश हो।
17/9/24	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाए गए एवं खुले न्यायालय में सुनाए गए। तहसीलदार बिजौलिया को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्री अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 34 / 2024 दायर तारीख 29.01.2024

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

........वादी

बनाम्

1. गंगाबाई पुत्री केशा जाति भील निवासी खड़ीपुर तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
2. गोपाल पुत्र औकार जाति भील निवासी खड़ीपुर तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
3. चान्दी पुत्री औकार जाति भील निवासी खड़ीपुर तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
4. जानकी पुत्री औकार जाति भील निवासी खड़ीपुर तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
5. फोरूलाल पुत्र औकार जाति भील निवासी खड़ीपुर तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
6. मेहन पुत्र औकार जाति भील निवासी खड़ीपुर तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
7. राज श्री देवी पत्नि हेमराज जाति मीणा निवासी गुरूनानक कॉलोनी जिला बून्दी।
8. रामलाल पुत्र केशा जाति भील निवासी खड़ीपुर तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
9. श्यामलाल पुत्र केशा जाति भील निवासी खड़ीपुर तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
10. हीरी बाई पुत्री केशा जाति भील निवासी खड़ीपुर तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।

........प्रतिवादीगण

उपस्थित :— 01. पैरोकार तहसीलदार।
02. एकपक्षीय

उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

—: निर्णय :—

दिनांक :— 17/09/2024

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने वादपत्र अर्न्तगत **धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खड़ीपुर पटवार मण्डल सुखपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा की आराजी नं0 489 रकबा 0.1376 हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय भूमि प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड हैं। उक्त वर्णित आराजी नं0 489 रकबा 0.1376 हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय भूमि में खातेदारों की मौके पर काश्त नही हैं। उक्त वर्णित आराजीयात पर प्रतिवादीगण को मात्र कृषि कार्य हेतु खातेदारी अधिकार प्रदत्त था। प्रतिवादीगण द्वारा भूमि पर कृषि कार्य नही किया जाकर गैर कृषि कार्य किया गया। प्रतिवादीगण ने खातेदारी अधिकार की शर्तों की पालना नही कर आराजी नं0 489 रकबा 0.1376 हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय भूमि पर रलाव (मिट्टी का ढेर) पड़ा हुआ है।

अतः प्रतिवादीगण की ग्राम खड़ीपुर की आराजी नं0 489 रकबा 0.1376 हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज कराना फरमावें।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 के नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए। विपक्षीगण संख्या 7 को नोटिस जरिये डाक से भेजकर सिपूर्द किया गया।

उक्त प्रकरण में विपक्षीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं हुआ।

प्रकरण में विपक्षीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गयें।

वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में नये खाता संख्या 208 ग्राम खड़ीपुर पटवार मण्डल सुखपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 की प्रति प्रस्तुत की हैं। आराजी नं0 489 रकबा 0.1376 हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय भूमि पर मौके पर रलाव (मिट्टी का ढेर) पड़ा हुआ है। नक्शा ट्रेस आराजी संख्या 489 की प्रति संलग्न हैं। गूगल मेप व जीपीएस मेप की प्रति संलग्न हैं।

प्रकरण में वादी ने अन्य किसी प्रकार की शहादत वादी प्रस्तुत नहीं करने से साक्ष्यवादी बन्द की गयी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं पैराकार सरकार की एकपक्षीय बहस पर मनन किया।

—: आदेश :—

प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम खड़ीपुर पटवार मण्डल सुखपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा की सरहद में स्थित आराजी नं0 489 रकबा 0.1376 हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 17 / 09 / 2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

मूल वाद में डिक्री

[न्य]ायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास श्री अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 34 / 2024 — दायर तारीख 29.01.2024

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.........डिक्रीदार

बनाम्

1. गंगाबाई पुत्री केशा जाति भील निवासी खड़ीपुर तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
2. गोपाल पुत्र औकार जाति भील निवासी खड़ीपुर तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
3. चान्दी पुत्री औकार जाति भील निवासी खड़ीपुर तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
4. जानकी पुत्री औकार जाति भील निवासी खड़ीपुर तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
5. फोरूलाल पुत्र औकार जाति भील निवासी खड़ीपुर तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
6. मेहन पुत्र औकार जाति भील निवासी खड़ीपुर तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
7. राज श्री देवी पत्नि हेमराज जाति मीणा निवासी गुरूनानक कॉलोनी जिला बून्दी।
8. रामलाल पुत्र केशा जाति भील निवासी खड़ीपुर तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
9. श्यामलाल पुत्र केशा जाति भील निवासी खड़ीपुर तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
10. हीरी बाई पुत्री केशा जाति भील निवासी खड़ीपुर तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।

...........मदयूनान

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक : 17/09/2024

डिक्री दिनांक : 17/09/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय बंहाजरी मिनजानिब मुदई पैरोकार तहसीलदार एक पक्षीय मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया है डिग्री जारी की जाती है कि :–

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** अंतिम रुप से डिक्री किया जाकर ग्राम खड़ीपुर पटवार मण्डल सुखपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा की सरहद में स्थित आराजी नं0 489 रकबा 0.1376 हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना–अपना वहन करे। डिक्री मूर्तिब हों।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17/09/2024 को जारी की गई।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

नीज ....Nil............................मुबलिग .... Nil ....बाबत् .... Nil ..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे।

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया			स्टाम्प अरजीदया		
स्टाम्प वकीलात नामा			स्टाम्प वकीलात नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील ( )			महनताना वकील ( )		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाह		
फीस कमीश्नर			फीस कमीश्नर		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
मुनफरिक			मुनफरिक		
मीजान			मीजान		

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ